

जस्टिस वर्मा समिति द्वारा यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव की सफारिश

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर #MeToo अभियान के बाद कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानूनी और संस्थागत ढाँचे को देखने के लिये न्यायाधीशों का एक पैनल स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी टू अभियान के वस्तितार को देखते हुए मामले की गंभीरता से जाँच के लिये जाने-माने कानूनवर्दों की समिति गठित करने का फैसला लया है।
- सरकार एक 'तथ्य-खोज आयोग' नयुकुत करेगी जो सार्वजनिक सुनवाई करेगा। पीड़ित महिलाएँ समिति के सामने गवाही भी दे सकती हैं। इसके बाद, समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की व्यापक प्रकृति के कारणों और परिणामों की पहचान करेगी जो कानून में बदलाव का कारण बन सकता है।
- हालाँकि वर्ष 2013 की शुरुआत में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति ने लैंगिक कानूनों पर सौपी गई अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और नविवरण) वधियक में महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की बजाय राज्य स्तरीय रोजगार अधकिरण की स्थापना की सफारिश की थी।
- इस समिति का गठन 16 दसंबर के नरिभया गैंगरेप और उसके परतसिध में हुए राष्ट्रव्यापी वरिध प्रदर्शन के बाद हुआ था तथा 23 जनवरी, 2013 को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जमा कर दी गई थी।
- न्यायमूर्ति लीला सेठ और वरषिठ अधविकता गोपाल सुब्रमणयम समेत, न्यायमूर्ति वर्मा की अधकषता वाली इस समिति ने यौन उत्पीड़न वधियक को 'असंतोषजनक' बताया था और कहा था कि यह वशिखा दशानरिदेशों की भावना को परतबिबिति नहीं करता है।
- वशिखा दशानरिदेश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा तैयार कया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया था कि तत्कालीन प्रसतावति कानून के तहत नरिधारति एक आंतरिक शिकायत समिति 'अनुत्पादक' होगी क्योंकि ऐसी आंतरिक शिकायतों से नपिटने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहति कया जा सकता है।
- इसके बजाय समिति ने सभी शिकायतों को प्राप्त करने और नरिणय लेने के लिये रोजगार अधकिरण बनाने का प्रसताव रखा था।
- शिकायतों के शीघ्र नपिटान को सुनशिचति करने के लिये न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने प्रसतावति कया था कि अधकिरण को सविलि कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहयि, लेकिन प्रत्येक शिकायत से नपिटने के लिये वे अपनी प्रकरया का चयन कर सकते हैं।

नयिकुता पर दायतिव

- समिति ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की परभाषा का दायरा बढ़ाते हुए कसिी भी 'अवांछति व्यवहार' को शिकायतकर्त्ता की व्यक्तपिरक धारणा से देखा जाना चाहयि।
- वर्मा समिति ने कहा था कि यदि एक नयिकुता यौन उत्पीड़न को प्रोत्साहन देता है, ऐसे माहौल की अनुमति देता है जहाँ यौन दुरव्यवहार व्यापक और व्यवस्थति हो जाता है, जहाँ नयिकुता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीतिका खुलासा करने और जसि तरीके से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस में वफिल रहता है, साथ ही ट्रबियूनल को शिकायत अग्रेषति करने में वफिल रहता है तो इसके लिये नयिकुता को जमिमेदार ठहराया जा सकता है। कंपनी शिकायतकर्त्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगी।
- समिति ने महिलाओं को आगे आने और शिकायत दर्ज करने हेतु प्रोत्साहति करने के लिये कई सुझाव भी दयि थे। मसाल के तौर पर, समिति ने झूठी शिकायतों के लिये महिलाओं को दंडति करने का वरिध कया और इसे 'कानून के उद्देश्य को खत्म करने से प्रेरति एक अपमानजनक प्रावधान' कहा।
- वर्मा समिति ने यह भी कहा था कि शिकायत दर्ज करने के लिये तीन महीने की समय सीमा को समाप्त कया जाना चाहयि और शिकायतकर्त्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरति नहीं कया जाना चाहयि।

